राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर-302005)

क्रमांक : एफ.1(3)( )295/स्था/सान्याअवि/21/ 50430 जयपुर, दिनांकः- 28-10-2021

कार्यालय आदेश

शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 जयपुर दिनांक 30.07.2021 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, वर्ष 2018 की प्रतीक्षा सूची से प्राप्त 603 पदों हेतु चयनित अभ्यार्थियों को विभाग/नियुक्ति अधिकारी आवंटन किये गये है, जिनमें से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (नियुक्ता अधिकारी) को आवंटित 02 अभ्यर्थियों को आवंटन करने पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer- trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/-प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा निम्न कार्यालयों में नियुक्त किया जाता है :-

SN	RANK	ROLL NO	Candidate Name	Father Name	HOME DISTT.	DOB	GENDER	Cate gory	Alloted office & District
1	24763	1779297	HANUMAN MEENA	HARI RAM MEENA	BUNDI	01-07-1995	Male	ST	कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि, बून्दी
2	24782	1603568	MANGILAL MEENA	HEERA LAL MEENA	BKANER	20-02-1992	Male	ST	कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पांचू, बीकानेर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सान्याअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा निर्देशो/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में विभाग हेतु योग्यता क्रम में ही रहेगी।
7. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप देय होगें।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.04 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवालाभ देय होगें।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत-भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
12. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटेस्टेशन फार्म एवं स्व-घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त(नियम)विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6))एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1))एफडी/रूल्स /2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक(Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा-मकान किराया भत्ता, महगांई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गयी एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गयी जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
17. उक्त अभ्यर्थियों ने पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र एवं पूर्व–वृत्त सत्यापन प्रस्तुत नही करने पर नियुक्ति के पन्द्रह दिवस में अभ्यर्थी अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, से स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस अधीक्षक, से चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन पत्र प्राप्त कर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें। जिसकी प्रति कार्यालयाध्यक्ष निदेशालय में भी भिजवायेगें।
18. उपरोक्त अभ्यर्थी संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें, जिन्हें जिला अधिकारी अपने अधीन कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवायेगें।

उक्त अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु लेकर अपनी कार्य ग्रहण हेतु उपस्थिति के समय उनके नाम के सामने अंकित पदस्थापन ब्लॉक के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेगें।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.1(3)( )295 / स्था / सान्याअवि / 21 / 50431 - 50 जयपुर, दिनांक:– 28-10-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक,(सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान,जयपुर।
8. उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी / सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.................................. को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जॉच कर कार्यभार ग्रहण करायें एवं इनकी कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निदेशालय को भिजवायेगें।
9. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, ...।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय बेबसाईड पर अपलोड करने एवं समस्त जिला अधिकारियों को ई–मेल करने हेतु।
11. प्रभारी, डी.पी.सी. / ए.सी.आर. प्रशाखा, मुख्यावास।
12. उक्त समस्त अभ्यार्थियों को भेजकर लेख है, कि आप द्वारा दी गई सूचनायें यदि गलत पाई जाती है, तो नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
13. श्री / श्रीमती / सुश्री...।
14. व्यक्तिगत पत्रावली श्री ....।
15. कार्यालय आदेश पत्रावली।

(उम्मेद सिंह)
अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)

Mail I.D.- raj.sje@rajasthangov.in Phon No. 0141-2220194
sjed01ada@gmail.com